



— INTRODUCING —



Opening an NPS account for your child gives them an early advantage in saving for retirement and teaches essential financial skills. With just Rs. 1000 annually, you can introduce them to investing and educate them on money management-earning, saving, and spending wisely.





पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण Pension Fund Regulatory and Development Authority www.pfrda.org.in

> E-500, Tower E, 5th Floor, World Trade Centre, Nauroji Nagar, New Delhi-110029







Scheme

A saving-cum-pension scheme regulated and administered by the PFRDA.



Eligibility

All minor citizens (age till 18 years) are eligible.



- · Account opened in the name of minor and operated by Guardian.
- · Minor to be sole beneficiary.

\bigcirc Where to open account

- The NPS Vatsalya account can be opened through Point of Presence (POPs) registered with PFRDA either online or physical mode, which include major banks, India Post, Pension Fund etc. (List of PoPs is available on PFRDA website).
- · The online platform (eNPS) of NPS Trust

Documents required

- Date of Birth proof of the Minor (Birth certificate, School leaving certificate, Matriculation Certificate, PAN, Passport)
- KYC of the Guardian shall be carried out by submitting Proof of Identity and Address (Aadhaar, Driving License, Passport, Voter ID card, NREGA Job Card, National Population Register)
- Permanent Account Number (PAN) of the Guardian or Form 60 declaration (Rule 114B).
- NRE / NRO Bank Account (solo or joint) of the minor in case guardian is NRI / OCI.



Issuance of PRAN

In the name of minor







Contribution

- Account Opening contribution: Min Rs. 1,000 /- and Max no limit.
- Subsequent contribution: Min Rs. 1,000 /- p.a. and Max no limit.



Pension Fund Selection

Guardian can choose any one of the Pension Fund registered with PFRDA.



Investment Choice

- Default Choice: Moderate Life Cycle Fund -LC-50(50% equity).
- Auto Choice: Guardian can choose Lifecycle Fund Aggressive
 -LC-75(75% equity), Moderate LC-50 (50% equity) or Conservative-LC-25 (25% equity) as per his/her risk appetite.
- Active Choice: Guardian actively decides allocation of funds across Equity (upto 75%), Corporate Debt (upto 100%), Government Securities (upto 100%) and Alternate Asset (5%).



Upon attainment of age of 18 years

- Seamless shift to NPS Tier I (All Citizen)
- fresh KYC of the minor within three months from date of attainting 18 years.
- Upon transitioning, the features, benefits, and exit norms of the NPS-Tier I for All Citizen Model will apply

Contact the nearest PoP / Bank Branch or visit online e-NPS portal at npstrust.org.in and submit the application form along with required documents

For more details, please call 1800 110 069 or visit pfrda.org.in





एनपीएस **वात्स**ल्य

एनपीएस खाता खोलना आपके बच्चे को सेवानिवृत्ति के लिए बचत करने और आवश्यक वित्तीय कौशल सीखने में अनुकूल परिस्थिति प्रदान करता है। सिर्फ सालाना रु. 1000 के साथ आप उन्हें निवेश से परिचित करा सकते हैं और उन्हें **धन-प्रबंधन, कमाई, बचत और समझदारी** से खर्च करने पर शिक्षित कर सकते हैं।





पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण Pension Fund Regulatory and Development Authority www.pfrda.org.in

> E-500, Tower E, 5th Floor, World Trade Centre, Nauroji Nagar, New Delhi-110029





योजना

पीएफ आरडीए द्वारा विनियमित और प्रशासित बचत-सह-पेंशन योजना

पात्रता

18 वर्ष तक की आयु वाले सभी अल्पवयस्क नागरिक इसके लिए पात्र हैं

- खाता खोलना
 - अल्पवयस्क के नाम पर खाता खोला जा सकता है और यह अभिभावक द्वारा संचालित होगा
 - अल्पवयस्क एकमात्र लाभार्थी होगा

खाता कहां खोलें

- अल्पवयस्क के लिए एनपीएस खाते को पीएफआरडीए के साथ पंजीकृत उपस्थिति अस्तित्व (पीओपी), जिसमें प्रमुख बैंक, इंडिया पोस्ट, पेंशन फंड आदि शामिल हैं, के माध्यम से ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में खोला जा सकता है। (पीओपी की सूची पीएफआरडीए की वेबसाइट पर उपलब्ध है।।
- एनपीएस टस्ट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म (ई-एनपीएस) के माध्यम से खाता खोला जा सकता है।

आवश्यक दस्तावेज

- अल्पवयस्क की जन्मतिथि के प्रमाण के लिए दस्तावेज (जन्म प्रमाणपत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र, मैट्किलेशन प्रमाणपत्र, पैन, पासपोर्ट)
- अभिभावक की केवाईसी को उसके पहचान और पते का प्रमाण (आधार, डाइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, नरेगा जॉब कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर) जमा करके पूरा किया जाएगा।
- अभिभावक का परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) या प्रपत्र-60 (नियम 114बी) घोषणा।
- यदि अभिभावक एनआरआई/ओसीआई है, तो अल्पवयस्क का एनआरई/एनआरओ बैंक खाता (एकल या संयुक्त)
- प्रान जारी करना

प्रान (PRAN) अल्पवयस्क के नाम पर जारी होगा





🖄 अंशदान

- **खाता खोलने के लिए अंशदान :** न्यूनतम रु. 1,000/- और अधिकतम की कोई सीमा नहीं
- बाद का अंशदान : न्यूनतम रु. 1,000/- प्रति वर्ष और अधिकतम की कोई सीमा नहीं
- **पेंशन फंड का चयन** अभिभावक पीएफआरडीए के साथ पंजीकृत पेंशन फंड में से किसी एक को चुन सकते हैं।

🍥 इन्वेस्टमेंट विकल्प

- 1. डिफ़ॉल्ट विकल्प : मॉडरेट लाइफ साइकिल फंड LC-50 (50% इक्विटी)
- ऑटो विकल्प: अभिभावक अपनी जोखिम क्षमता के अनुसार लाइफ साइकिल फंड एग्रेसिव एलसी-75 (75% इकिटी), मॉडरेट एलसी-50 (50% इकिटी) या कंजर्वेटिव एलसी-25 (25% इकिटी) का चुनाव कर सकते हैं
- 3. एक्टिव विकल्प: अभिभावक, इक्विटी (75% तक), कॉर्पोरेट डेब्ट (100% तक), सरकारी प्रतिभूतियां (100% तक) और वैकल्पिक आस्तियां (5%) में सक्रिय रूप से धन के आवंटन का निर्णय ले सकते हैं

💫 🛮 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर

- एनपीएस टियर-। (सर्व-नागरिक) में सीधे स्थानान्तरण
- 2. 🛮 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने की तिथि से तीन महीने के भीतर अल्पवयस्क का नया केवाईसी।
- स्थानान्तरण के पश्चात , सर्व-नागरिक (All Citizen) मॉडल के लिए एनपीएस टियर-। की विशेषताएं, लाभ और निकासी मानक लागू होंगे।

निकटतम पीओपी/बैंक शाखा से संपर्क करें या npstrust.org.in पर ऑनलाइन ई-एनपीएस पोर्टल पर जाएं और आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र जमा करें।

अधिक जानकारी के लिए, कृपया 1800 110 069 कॉल करें या pfrda.org.in पर जाएं।